अध्याय

4 कानून की समझ

क्या आपको पता है कि हमारे देश में विद्यालय की पहली कक्षा में नामांकन की क्या उम्र है? यह तो शायद आपको पता होगा कि हमारे यहां वोट डालने के लिए क्या आयु सीमा है? या किसी व्यक्ति को थाने क्यों जाना पड़ता है? क्या इन सभी के पीछे कोई निर्धारित नियम होते हैं या ये सभी बातें लोग अपनी इच्छानुसार तय करते हैं? आप लोग सही सोच रहे हैं कि चूँकि ये सारी बातें हमारे देश की कानून व्यवस्था से सम्बंधित हैं, इसलिए ये एक निश्चित प्रक्रिया से तय की जाती होंगी।

आप आये दिन रेडियो, टी.वी. व अखबारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कानूनों एवं नियमों के बारे में सुनते–पढ़ते होंगे। उनमें से कुछ कानूनों से तो आप परिचित भी होंगे जैसे विवाह की उम्र सीमा, दहेज लेने के विरुद्ध कानून, मताधिकार का कानून आदि। लेकिन कुछ कानूनों के बारे में आपकी जानकारी सीमित होगी, जबकि आपके घर के बड़े–बूढ़े इनसे ज़्यादा अच्छी तरह से परिचित होंगे, जैसे संपत्ति खरीदने–बेचने के नियम, विभिन्न प्रकार के झगड़ों को निपटाने के लिए कानून आदि।

इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कानून बनाने की आवश्यकता क्यों है, नए कानून किस तरह बनते हैं, और किस तरह ये सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। जितना ज़रूरी हमें यह सब जानना है, उतना ही ज़रूरी यह भी जानना है कि नागरिक होने के नाते हमें अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून बनने की

जब एक केन्द्रीय मंत्री के भाई को हत्या के आरोप में सज़ा सुनायी गयी तो वह अपने भाई को राज्य से बाहर भाग निकलने में विशेष मदद करता है।

क्या आपको लगता है कि उस केन्द्रीय मंत्री ने सही काम किया? क्या उसके भाई को केवल इसलिए कानून से माफी मिलनी चाहिए क्योंकि उसका भाई आर्थिक और राजनैतिक रूप से बहुत ताकतवर है?

किसी भी सामूहिक व्यवस्था के संचालन के लिए जो नियम बनाये जाते हैं उन्हें कानून कहा जाता है। इन नियमों–कानूनों के बिना हम एक व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं कर सकते।

Developed by: www.absol.in

स्थिति में क्या करना चाहिए।

सुनिश्चित कानून–व्यवस्था समाज के लिए बहुत आवश्यक है। यह मानव कल्याण और मानवीय अधिकारों के आधार पर बनाये जाते हैं। कानून आम तौर पर स्थिर और निश्चित होते हैं, परन्तु किसी विशेष परिस्थिति या जनता के द्वारा विरोध

कानून कितने प्रकार के

संविधान में उल्लिखित नियमों को संवैधानिक कानून कहते हैं । संवैधानिक नियमों के अनुरूप बनाये गए या अपनाए गए अन्य कानून, सामान्य कानून की श्रेणी में आते हैं । उत्तराधिकार कानून, वैवाहिक कानून, दण्ड विधान आदि हमारे देश के सामान्य कानून हैं ।

आपने अपने गाँव या मुहल्ला में परिचितों के यहाँ शादी में भाग लिया होगा । उनमें अलग–अलग धर्म के लोग भी होंगे । प्रत्येक धर्म में शादी की अलग–अलग विधि है । हिन्दुओं में शादी अग्नि के फेरे लेकर सम्पन्न होती है तथा मुस्लिमों में शादी मौलवी के समक्ष एक दूसरे को अपनाने की स्वीकारोक्ति से हो जाती है, ईसाइयों में शादी चर्च में पादरी के माध्यम से शपथ लेते हुए अंगुठी बदल कर सम्पन्न होती है । कानून इस सारे विवाहों को मान्यता तथा वैधता प्रदान करता है क्योंकि ये शादियाँ संबंधित व्यक्तियों के व्यक्तिगत कानून के अनुसार सम्पन्न हुई हैं । किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को निर्धारित तथा नियंत्रित करने संबंधी कानून व्यक्तिगत कानून की कोटि में आते हैं । सम्पत्ति, व्यक्ति व सरकार के बीच व्यवहार , आपराधिक घटनाओं तथा व्यक्तियों की सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानून को सार्वजनिक कानून कहते हैं । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सहकारिता कानून, दंड विधान आदि सार्वजनिक कानून हैं । सार्वजनिक कानून को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है– दीवानी कानून और फौजदारी कानून । दीवानी कानून के अन्तर्गत जमीन–जायदाद, विवाह इत्यादि के झगड़ों की स्थिति में लगने वाले कानून एवं फौजदारी कानून के अन्तर्गत लड़ाई, झगड़ा, हत्या, चोरी, डकैती आदि अपराध के लिए लगने वाले कानून ।

सोपान के रूप में कानून को हम इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं :–

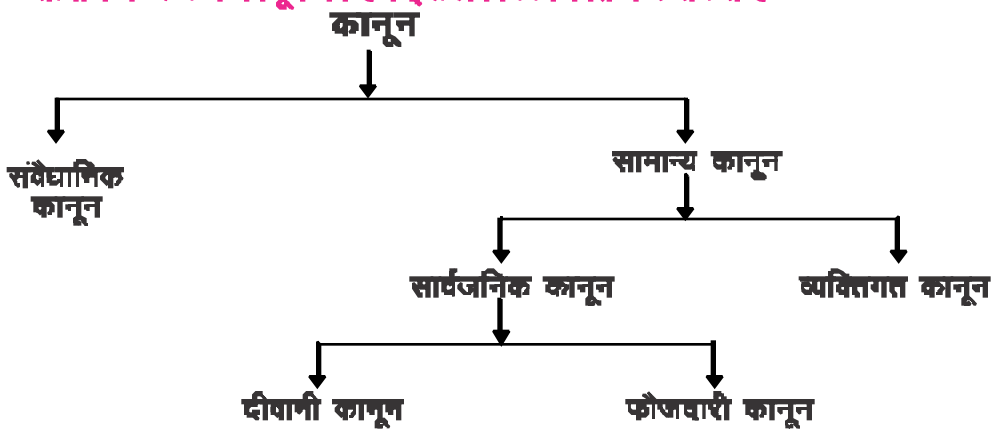

किये जाने पर खास कानूनों को संशोधित या वापस भी लिया जा सकता है।

कानून कैसे बनते हैं?

लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून निर्माण करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से तो जनता का है, परन्तु तकनीकी तथा व्यावहारिक दृष्टि से जनता के प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं। भारत में कानून बनाने का दायित्व संविधान ने भारतीय संसद को दिया है, क्योंकि सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं। संसद का एक प्रमुख कार्य देश के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। आम तौर पर जनता सबसे पहले समाज की समस्याओं के समाधान के लिए किसी खास कानून को बनाने के लिए आवाज़ उठाती है। जनता के उठाये गये मुद्दों को मंत्रिमंडल द्वारा उस विषय से सम्बंधित विभाग (विधेयक समिति) के पास सुझाव एवं विधेयक निर्माण के लिए भेजा जाता है। उसके बाद मंत्रिमंडल विधेयक को संसद में पेश करता है उसका मूल उद्देश्य एवं समय निर्धारित करती है। भारत में संसद के दो सदन हैं – लोकसभा एवं राज्यसभा। सामान्यतया विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। विधेयक पर सदन में विस्तृत चर्चा होती है, जिसमें सुधार एवं संशोधन

कानून बनाने की प्रक्रिया

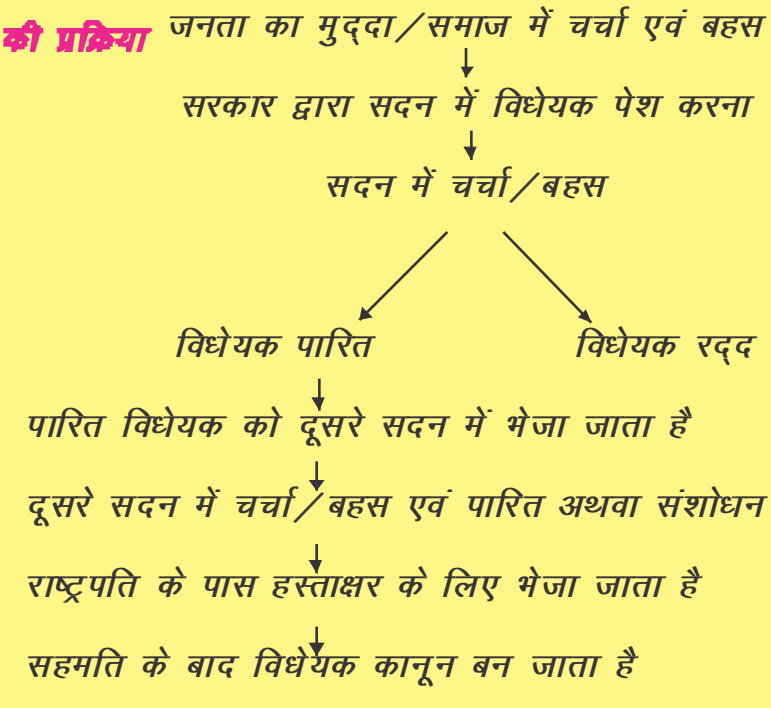

भी होता है। इसको समझने के लिए निम्न रेखा चित्र को देखा जा सकता है।

संसद में शिक्षा अधिकार कानून पर बहस

आज़ादी के बाद संविधान में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। उसमें यह प्रावधान (अनुच्छेद 45) रखा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था अगले 10 वर्षों में राज्य द्वारा की जानी चाहिए।

आज 60 वर्षों के बाद भी बाल मज़दूरी, पढ़ाई पूरी किये बिना विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या व लड़कियों की कम साक्षरता प्रतिशत इस बात की ओर संकेत करते हैं कि सरकार द्वारा बनाये गये शिक्षा सम्बंधित कानून पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं। इसको लेकर नागरिक संगठन, छात्र–संगठन, समाजसेवी संस्थाएं, अभिभावक एवं आम लोग कई कार्यक्रम, सम्मेलन, मीटिंग, प्रदर्शन व अध्ययन आदि के

अध्यक्ष

रीना जी आप की बारी है, बोलें!

महोदय, शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारी सरकार ने सबके लिए शिक्षा देने की पहले भी कई कोशिशें की हैं। इसलिए मैं अपने दल की ओर से इस बिल का समर्थन करती हूं। सबके लिए शिक्षा अनिवार्य बनाने के लिए हमारी सरकार ने कई सारी सुविधाएं दी हैं। पाठशालाओं में कमरे बनाने और ब्लैकबोर्ड बनवाने का प्रबंध किया है, लेकिन अभी भी देश के काफी बच्चे विद्यालय से बाहर हैं। इसलिए ऐसे कानून की आवश्यकता है, जिससे कम से कम 6 से 14 वर्ष

रीना जी

अध्यक्ष

अब मैं अनुराधा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे बोलें!

महोदय, मैं इस बात से खुश हूँ कि इस विधेयक में यह प्रस्ताव है कि किसी भी बच्चे को विद्यालय जाने के लिए एक किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। ऐसा होने से खासकर लड़कियों को पढ़ने में विशेष सहुलियत मिलेगी, क्योंकि अधिकतर अभिभावक विद्यालय दूर होने के कारण लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते। उनके पास अपनी बेटियों को भेजने का साधन

अनुराधा जी

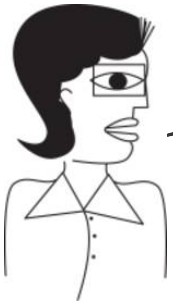

अध्यक्ष

धन्यवाद! अब विकास जी अपनी बात कहेंगे!

महोदय, मैं इस विधेयक का पूरी विनम्रता से विरोध करता हूं। हमारे पास सभी के लिए शिक्षा हेतु कई नियम हैं। कोई भी नया कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होता, असली समस्या यह है कि बनाये गये नियमों और नीतियों को सही ढंग से लागू नहीं किया जाता। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में यह कहा गया था कि संविधान के लागू होने के दस वर्षों के भीतर सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। उस बात को आज बासठ वर्ष से अधिक हो गये लेकिन यह अभी तक

विकास जी

रीना जी

महोदय, माननीय सदस्य को इस विषय की पूरी जानकारी नहीं है। मैं सदन को यह बताना चाहती हूँ कि इस विधेयक में एक प्रावधान है कि जो बच्चे अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी उनकी उम्र के मुताबिक कक्षा में नामांकन करने हेतु विशेष तैयारी करवायी जायेगी। इसमें दलितों तथा विकलांगों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

रीना जी आपका समय समाप्त हो गया है।

अध्यक्ष

कई सदस्यों ने इस बात का ज़ोरदार विरोध किया।
"यह उचित नहीं है। आपको रीना जी को और समय देना चाहिए।"

अध्यक्ष

शांत रहें, अंतरा जी आप बोलें!

अंतरा जी

महोदय, शिक्षा के किसी कानून का तब तक कोई लाभ नहीं होगा, जब तक सभी के लिए समान विद्यालयों की व्यवस्था नहीं की जाती। हमारे देश में कई तरह के विद्यालय चल रहे हैं जिनकी वजह से एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था करना संभव नहीं लगता। यदि सरकार इस विषय में गंभीर है, तो कानून में यह प्रावधान किया जाये कि कोई भी निजी विद्यालय नहीं हो।

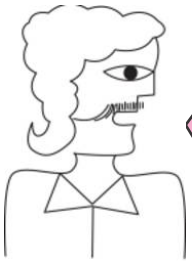

एतश कुमार

> महोदय, मेरा यह मानना है कि यह कानून सिर्फ शुरुआती व्यवस्था है। बाद में हमें उच्च शिक्षा को भी ऐसे कानून के दायरे में लाना पड़ेगा। 14 वर्ष तक आते–आते बच्चे अधिक से अधिक कक्षा आठ तक ही पहुंच पाते हैं। आठवीं तक की पढ़ाई से जीवन चलाने में क्या सहायता मिलेगी? क्या हम सिर्फ दैनिक वेतनभोगी मज़दूर पैदा करना चाहते हैं, जो नाम लिख लें और थोड़ा बहुत हिसाब–किताब कर लें? मेरा मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि मज़दूर का बेटा मज़दूर न हो तो इस कानून को व्यापक रूप से उच्च शिक्षा तक बढ़ाया जाये।

द्वारा आवाज़ उठाते रहे हैं।

किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए संसद में किस प्रकार की कार्यवाही (चर्चा) होती है, इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है।

बहस इसी तरह चलती रही। बहस के बाद अध्यक्ष ने विधेयक पर मतदान करवाया। विधेयक बहुमत से पारित हो गया।

दिये गये उदाहरण से स्पष्ट होता है कि कानून बनाने में जनता की भूमिका अहम होती है। कानून बनाने की हर प्रक्रिया में जनता की आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। जनता की यह आवाज़ टेलीविज़न, अखबारों, रेडियो तथा आम–सभा, ज्ञापन, अध्ययन, धरना–प्रदर्शन आदि के ज़रिये सुनी और व्यक्त की जा सकती है।

संसद में हो रही चर्चा

क्या कानून सब पर लागू होते हैं?

हमारे देश का कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर व्यक्तियों के बीच आपस में कोई भेदभाव नहीं करता। कानून देश के सभी नागरिकों

पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे व्यक्ति धनी हों या गरीब, स्त्री हों या पुरुष, अगड़े हों या पिछड़े, सरकारी हों या राजनेता। यहां तक कि सम्बंधित व्यक्ति देश का राष्ट्रपति ही क्यों न हो, कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। अर्थात् कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है या कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए एक निश्चित सज़ा होती है। सज़ा तय होने तक की एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित होता है।

हमारे देश में कानून का उल्लंघन करने के लिए या अपराध की सज़ा देने के लिए न्यायालय होते हैं। न्यायालय ही सज़ा निर्धारित करते हैं। अगले अध्याय में इस बात की चर्चा दोबारा विस्तार से की जायेगी।

यदि आप अध्याय के शुरू में दिये गये उदाहरण को दोबारा पढ़ें तो पायेंगे कि केन्द्रीय मंत्री द्वारा किया गया कार्य सीधे–सीधे कानून का उल्लंघन है। इस व्यवस्था में लोग अपनी स्वतंत्रता का मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। भारत में सभी लोग कानून की दृष्टि से बराबर हैं।

अलोकप्रिय कानून का उदाहरण

बिहार प्रेस बिल 1982 एवं अन्य घटनायें

बिहार राज्य में 1982 में बिहार प्रेस बिल के नाम से राज्य विधानपालिका द्वारा एक कानून पारित किया गया था। इस कानून में ऐसी बातें लिखी गयी थीं, जिनका सहारा लेकर राज्य सरकार की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति, अखबार या पत्रिका से जुड़े सभी लोगों को दण्डित किया जा सकता था। सरकार की आलोचना करने पर यह आरोप आसानी से लगाया जा सकता था कि अमुक ने अपने विचारों को लापरवाही से व्यक्त किया है जिससे लोगों के हितों को हानि पहुँची है।

इस कानून से ''विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता'' के मौलिक अधिकार पर किसी भी तरह की रोक लगायी जा सकती थी। इस कानून का लोगों ने लिखकर, धरना–प्रदर्शन और अन्य माध्यमों से जमकर विरोध किया। तीन सितम्बर 1982 को इसके विरोध में अखिल

1. अपनी शिक्षिका की मदद से, कुछ ऐसे कानूनों की सूची बनायें जो जनता के दबाव में
वापस ले लिये गये।

ऐसे कानून बने हैं जिनका लोगों ने पुरज़ोर विरोध किया है।

इरोम शर्मिला का अनशन

उत्तर–पूर्व के कुछ राज्यों में सशस्त्र सेना अधिनियम लागू किया गया है। यह अधिनियम सेना को यह अधिकार देता है कि सेना बिना किसी आदेश के कभी भी लोगों के घरों की तलाशी ले सकती है और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। वहां के लोग इस अधिनियम का पिछले कई सालों से विरोध कर रहे हैं।

सन् 1974 से 1976 तक लगाये गये आन्तरिक आपातकाल के दौरान भी प्रेस और बोलने की आज़ादी पर सख्त रोक लगायी गयी थी। इसका उदाहरण देते हुए चण्डीगढ़ के एक प्राध्यापक बताते हैं कि जब लोग पढ़ाते थे तो पुलिस वाले यह देखते थे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। कारण पूछे जाने पर पुलिस ने बताया कि हमें देखना है कि आप पढ़ाने के दौरान सरकार विरोधी बातें तो बच्चों को नहीं बता रहे हैं। आपातकाल का भी हमारे देश के लोगों ने पुरज़ोर विरोध किया था।

Developed by: ABSOL www.absol.in

आपातकाल के विरोध में लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी ने पूरे भारत में जनक्रान्ति प्रारंभ की। आगे चलकर यह जनक्रान्ति "सम्पूर्ण क्रान्ति" के नाम से प्रसिद्ध हुई। दमनकारी कानून का लोगों ने ऐसा विरोध आरंभ किया कि सभी वर्गों के लोग सड़कों पर उतर आये। इस क्रान्ति का उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता के साथ–साथ, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोज़गारी का निवारण और समाज में परिवर्तन भी था।

अभ्यास के प्रश्न

1. कानून के शासन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइये।
2. भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया की मुख्य बातों को अपने शब्दों में लिखिये।
3. आपके विचार में शिक्षा के अधिकार के कानून में किन–किन बातों को शामिल करना चाहिए और क्यों?
4. अगर किसी राज्य या केन्द्र की सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो लोगों की ज़रूरतों के अनुसार न हो, तो आम लोगों को क्या करना चाहिए?

जन्म–मृत्यु पंजीकरण

जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कानूनन आवश्यक है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समय से नहीं करवाने पर भविष्य में कई तरह की असुविधाएं हो सकती हैं। जन्म प्रमाण पत्र–जन्म की तारीख एवं स्थान का एक प्रामाणिक दस्तावेज है जिसका उपयोग विद्यालय में नामांकन कराने, राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने, वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने, बालिका समृद्धि योजना का लाभ लेने, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिकार्ड एवं टीकाकरण तथा देश की वर्तमान जनसंख्या की स्थिति ज्ञात कर योजनायें बनाने के लिए किया जाता है। वहीं मृत्यु प्रमाणपत्र–मृत्यु की तारीख एवं स्थान का प्रामाणिक दस्तावेज है, जिसका उपयोग पैतृक संपत्ति में दावे के निराकरण, कोर्ट कचहरी में मृत्यु के साक्ष्य के रूप में, जीवन बीमा एवं बैंक खातों की राशि प्राप्त करने, दुर्घटना आदि में मृत्यु होने पर मुआवजा लेने, अनुकम्पा के आधार पर नौकरी का दावा करने के लिए किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में जन्म अथवा मृत्यु का पंजीकरण नगर–निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत के रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सचिव –सह– रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), आंगनवाड़ी सेविका–सह–उप रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) या चौकीदार को घटना की सूचना देकर 21 दिनों के अंदर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा जन्म या मृत्यु किसी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल या रेफरल